



क्रमांक : एफ.1()पीएस/आकाशि/2023/ 6305

दिनांक : 07.06.2023

:: आदेश ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164ए के प्रावधान के अन्तर्गत निम्न सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय/कार्यालय में नीचे दी गई तालिका के कॉलम संख्या 04 पर अंकित रिक्त पद के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.17(10) डीओपी/ए-II/94 दिनांक 28-03-2023 के अनुसार निर्धारित समेकित पारिश्रमिक पर एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए पुनर्नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्र. स.	सेवानिवृत्त कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद	रिक्त पद का नाम जिसका कार्य किया जाना है तथा जिसके विरुद्ध पुनर्नियुक्ति किया जा रहा है	महाविद्यालय का नाम जहां रिक्त पद के विरुद्ध सेवाएं ली जानी हैं
01	राम लाल यादव	वरिष्ठ सहायक	वरिष्ठ सहायक	राजकीय कला महाविद्यालय, चिमनपुरा
02	सम्पत राज गौड़	प्रयोगशाला सहायक	प्रयोगशाला सहायक	राजकीय कन्या महाविद्यालय, मगरा पूंजला
03	गौरी शंकर	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, कोटा
04	बद्री लाल पोटर	वरिष्ठ सहायक	कनिष्ठ सहायक	राजकीय महाविद्यालय, कनवास
05	रतन सिंह	जमादार	जमादार	राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर
06	श्याम सुन्दर शर्मा	प्रयोगशाला सहायक	प्रयोगशाला सहायक	राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा
07	सूर्य प्रकाश शर्मा	अतिष्ठ प्रशा. अधिकारी	सहा. प्रशा. अधिकारी	राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर
08	टीलाराम गमेती	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, कुम्भलगढ़
09	विजय राम भील	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, कुम्भलगढ़
10	भूदेव भट्ट	प्रयोगशाला सहायक	प्रयोगशाला सहायक	राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा
11	शंकर लाल चमार (यादव)	प्रयोगशाला सहायक	प्रयोगशाला सहायक	राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा
12	खुमान सिंह	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.06 21:05:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3987141



13	सेवजी	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा
14	शम्भु	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा
15	लीलूखां	सहा.प्रशा. अधिकारी	वरिष्ठ सहायक	राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ (चूरू)
16	शंकर सिंह	वरिष्ठ सहायक	कनिष्ठ सहायक	राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर
17	योगेन्द्र कुमार शर्मा	लेखाधिकारी	सहायक लेखाधिकारी -प्रथम	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर
18	अमर जीत	प्रयोगशाला सहायक	प्रयोगशाला सहायक	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर
19	बिन्दु माथुर	सहा.प्रशा. अधिकारी	वरिष्ठ सहायक	राजकीय विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीकानेर
20	रणवीर सिंह	प्रशा. अधिकारी	कनिष्ठ सहायक	राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सर्वाईमाधोपुर
21	गौतम चन्द सोलंकी	कनिष्ठ सहायक	कनिष्ठ सहायक	राजकीय महाविद्यालय, मारवाड़ जंक्शन
22	प्रहलाद सहाय मीणा	बुक लिफ्टर	बुक लिफ्टर	राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा
23	बृजेश कुमार गुप्ता	सहा. लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम	सहा. लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम	राजकीय कन्या महाविद्यालय, झालाटाला वैर (भरतपुर))
24	राजेन्द्र कौशिक	वरिष्ठ सहायक	वरिष्ठ सहायक	राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
25	राज कुमार शर्मा	लेखाधिकारी	सहायक लेखाधिकारी	राजकीय महाविद्यालय, सूरजगढ़ (झुन्झुनू)
26	प्रमोद कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	कनिष्ठ सहायक	राजकीय कन्या महाविद्यालय, कुचामनसिटी
27	देवेन्द्र कुमार आर्य	प्रशा. अधिकारी	संस्थापन अधिकारी	राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर
28	विजय कुमार वर्मा	अतिरिक्त निजी सचिव	अतिरिक्त निजी सचिव	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़
29	तेजमल चौहान	सुपरवाइजर	सहा.प्रशा. अधिकारी	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़
30	किशन लाल	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर
31	छगन लाल सैनी	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, नेछवा
32	हरि राम रावल	सहा. प्रशा. अधिकारी	सहा. प्रशा. अधिकारी	राजकीय विधि महाविद्यालय, सिरोही
33	सुखाराम	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, बावड़ी
34	राम सिंह राजावत	हैण्डपम्प मिस्री	च.श्रे.क.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, निवाई

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.06 22:05:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3987141



35	मुरारी लाल शर्मा	हैण्डपम्प मिस्त्री	च.श्रे.क.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, दत्तवास
36	दिनेश चन्द्र विजय	सहायक लेखाधिकारी-प्रथम	सहायक लेखाधिकारी-प्रथम	राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा
37	महेन्द्र कुमार माली	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	प्रयोगशाला सहायक	राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर
38	विमल कुमार श्रीमाली	प्रयोगशाला सहायक	प्रयोगशाला सहायक	राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर
39	जुगल किशोर रामावत	सेक्सन कट्टर	प्रयोगशाला सहायक	राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर
40	नरेन्द्र सिंह सतावत	अतिष्ठ प्रशा. अधिकारी	कनिष्ठ सहायक	राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर
41	देव किशन व्यास	बुक लिफ्टर	बुक लिफ्टर	राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर
42	मुन्नी लाल	एनिमल केचर	प्रयोगशाला वाहक	राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर
43	राजेन्द्र प्रसाद जोशी	प्रयोगशाला वाहक	प्रयोगशाला वाहक	राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर
44	रमेश चन्द सिसोदिया	निजी सचिव	निजी सचिव	राजकीय महाविद्यालय, जयपुर

पुनर्नियुक्ति की शर्तें :

- समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30-08-2022 के अनुसार भुगतान संवेतन मद से किया जावेगा।
- सेवानिवृत्त कर्मचारी जिस केंडर से सेवानिवृत्त हुआ है उस ही केंडर में रिक्त पद के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।
- समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 भाग काटा जावेगा।
- समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़ बही को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से सम्बन्धित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जावेंगे।
- राजकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञेय होगा।
- पुनर्नियुक्ति सेवाएं 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेंगी।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.06 22:05:49 IST
Reason: Approve

RajKaj Ref No. : 3987141



07. राजकीय हित में पुनर्नियुक्ति अवधि में एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक अभिवृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी।
08. पुनर्नियुक्ति के दौरान दूरभाष/मोबाईल/इन्टरनेट व्यय का पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
09. पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान कोई चिकित्सा व्यय पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
10. शेष प्रावधान एवं शर्तें कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले आदेश/परिपत्रों के अनुसार होंगे।

(सुनील शर्मा)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर

दिनांक : 07.06.2023

क्रमांक : एफ.1()पीएस/आकाशि/2023/ 6305

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. सम्बन्धित प्राचार्य/सहायक निदेशक, राजकीय महाविद्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 28-03-2023 की पालना सुनिश्चित करते हुए उपर्युक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पश्चात् पुनर्नियुक्ति की कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को **जरिये ई-डाक** उपलब्ध करावें।
4. सम्बन्धित सेवानिवृत्त कार्मिक को सूचनार्थ।
5. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.06 11:05:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3987141

